ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस

निर्देशिका

विषय वस्तु

1	परिचय	1
2	प्रत्येक गांव में मासिक पोषण दिवस का आयोजन क्यों किया जाना चाहिए	2
3	जांचसूची	5
4	ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए सुविधा पैकेज	8
5	अनुबन्ध	
	अनुबन्ध – क ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु आवश्यकताएं	14
	अनुबन्ध – ख ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु प्रचार	15
	अनुबन्ध – ग पर्यवेक्षी प्रबन्धन	16
	अनुबन्ध – घ पर्यवेक्षी जांच सूची	17
	अनुबन्ध – ङ परिणाम	18

1. परिचय

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का प्रत्येक महीने में एक बार आयोजन किया जाता है । प्राथमिकता के तौर पर इस दिवस को बुधवार के दिन मनाया जाता है और जो गांव छूट जाते हैं उनमें यह दिवस माह के किसी भी दिन मनाया जाता है । यह दिवस 'ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में एकरूपता सुनिश्चत करेगा । आंगनवाड़ी केन्द्र की प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा–II, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में एक मंच के रूप पहचान की गई है । ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस को एक समुदाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली में जोड़ने के स्तर के रूप में देखा गया है ।

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की महत्वत्ता को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण पग इस निर्देशिका में उठाये गये हैं । इस निर्देशिका में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता की भूमिका प्रमुखता से दर्शाया गया है । ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे की परिणाम को सही ढंग से मापा जा सके व उसका निरीक्षण किया जा सके ।

कार्यक्रम प्रबन्धकों का मुख्य उत्तरादायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन के समय जिला / खण्ड स्तर पर आवश्यक सामग्री पूर्ण मात्रा में उपलब्ध हो । इसी तरह से, विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबन्धकों का सहायक निरीक्षण उक्त सेवाओं में सुधार करेगा ।

2. प्रत्येक गांव में मासिक पोषण दिवस का आयोजन क्यों किया जाना चाहिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता एवं ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति ग्रामीणवासियों को खासतौर पर महिलाओं एवं बच्चों को निर्धारित दिवस पर नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र में इकठ्ठा करेंगी । महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी पोषण दिवस पर अवश्य उपस्थित होने चाहिए अन्यथा ग्रामीणवासी मासिक पोषण दिवस में उत्सुकता नहीं दिखायेगें । मासिक पोषण दिवस पर ग्रामीणवासी स्वतन्त्र रूप से स्वास्थ्य कर्मी के साथ बुनियादी सुविधाओं के बारे में बातचीत व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । ग्रामीणवासी पोषण दिवस पर स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विशेषकर बीमारियों की रोकथाम के बारे में सीख सकते हैं जो कि उन्हें जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन ग्रामीणवासियों के गांव के बिल्कुल समीप किया जायेगा । इसलिए उन्हें यात्रा व व्यय करने की आवश्यकता नहीं है । स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीणों के दरवाजे पर प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा । ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में मुख्यतः आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं एवं पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है । यदि उक्त घटनाक्रम में सभी कार्यकर्त्ता पूर्ण से सम्मिलित हों तो स्वास्थ्य सुविधिओं में चमत्कार होने की प्रबल संभावना है ।

क) सुविधायें जो कि प्रदान की जानी है :–

- सभी गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत किया जायेगा ।
- पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्ण जांच की जायेगी ।
- जिन योग्य गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण नही हुआ है उन्हें प्रसव पूर्व जांच की सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेगीं ।
- एक वर्ष से कम आयु के योग्य सभी बच्चों का छह रोग–निरोधक टीकाकरण ।
- जिन बच्चों का किसी कारणवश प्रतिरक्षण नहीं किया जा सका है उनका तालिका के अनुसार टीकाकरण किया जायेगा ।
- बच्चों को विटामिन ए का घोल पिलाया जायेगा
- सभी बच्चों का वजन मापा जायेगा तथा उसके लिए एक कार्ड बनाया जायेगा तथा कुपोषण से लड़ने का प्रयास किया जायेगा ।
- क्षय रोगी को क्षयरोग दूर करने सम्बन्धी दवाईयां प्रदान की जायेगीं ।

- सभी योग्य दम्पत्तियों को उनकी इच्छानुसार गर्भ–निरोधक प्रदान किये जायेगें तथा अन्य निरोधकों की सुविधा प्रदान की जायेगी ।
- जिन बच्चों का वजन कम है उन्हें अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जायेगा ।

ख) मुद्दे जो कि समुदाय के साथ विचारणीय हैं :–

- गर्भावस्था के दौरान खतरनाक लक्षण ।
- स्वास्थ्य संस्थान में प्रसूति की महत्त्वता एवं प्रसूति के लिए कहां जाना चाहिए ।
- प्रसव उपरान्त देखभाल की महत्त्वता ।
- आवश्यक नवजात शिशु की देखभाल पर परामर्श ।
- जननी सुरक्षा योजना के लिए पंजीकरण ।
- बेहतर पोषण के परामर्श ।
- विशेष रूप से स्तनपान ।
- पूरक आहार ।
- डायरिया और उनका घर में प्रबन्धन ।
- तीव्र श्वसन संक्रमण के दौरान देखभाल ।
- मलेरिया, टी. बी. रोग की रोकथाम, और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु ।
- एच.आई.वी. / एड्स सम्बन्धित रोगों की रोकथाम ।
- एस.टी.आई. की रोकथाम हेतु ।
- सुरक्षित पेय जल का महत्त्व ।
- व्यक्तिगत स्वच्छता ।
- घर की सफाई ।
- बच्चों की शिक्षा ।
- कन्या भ्रूण हत्या ।
- विवाह के समय आयु ।
- आपदा प्रबन्धन ।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ।

ग) मुद्दों की पहचान जिन पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है :–

- विकलांग बच्चों को पहचानें ।
- कुपोषण से ग्रसित (तृतीय एवं चतुर्थ स्तर) बच्चों को पहचानें ।
- रक्त अलप्ता से सम्बन्धित गम्भीर मामलों को पहचानें ।

- गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता को पहचानें ।
- मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठरोग और काला जार से सम्बन्धित रोगों के मामलों को पहचानें ।
- बुजुर्गो एवं निसहाय महिलाओं की समस्याओं को पहचानें ।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसरव्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गो की समस्याओं पर विशेष ध्यान दें ।

घ) रिपोर्टः–

- उन बच्चों का लेखा–जोखा तैयार करना जिनकी आवश्यकता विशेष है खासतौर पर विकलांग कन्याओं के सम्बन्ध में ।
- रोगों के प्रकोप के फैलने से सम्बन्धित रिपोर्ट ।
- बच्चों एवं महिलाओं की मृत्यु से सम्बन्धित रिपोर्ट ।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसरव्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गो से सम्बन्धित सूचना तैयार करना ।

3. जांचसूची :

यह आवश्यक है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की एक जांच सूची तैयार की जाये । इस जांचसूची में यह निर्धारित किया जाये कि वह किन–किन गतिविधियों के लिए उत्तरदायित्व हैं । इन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्य योजना कदम दर कदम तैयार की जाये । ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन सभी कार्यकर्त्ताओं द्वारा जांचसूची के आधार पर किया जाना चाहिए ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता

1) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन से पहले की जाने वाली गतिविधियां :–

- वह गांव के प्रत्येक घर, निर्धन परिवारों के घरों खासकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अवश्य दौरा करें ।
- गर्भवती महिलाओं की एक सूची तैयार करें ।
- उन गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करें जिन्हें प्रसूति पूर्व जांच के लिए एक बार या दुबारा आवश्यकता है ।
- उन शिशुओं की सूची तैयार करें जिन्हें टीकाकरण की आवश्यकता है या इस गतिविधि से छूट गये हैं ।
- उन बच्चों की सूची तैयार करें जिन्हें कुपोषण से ग्रस्ति होने पर देखभाल की आवश्यकता है ।
- उन बच्चों जिन्हें विशेष देखभाल विशेषकर कन्याओं की आवश्यकताओं की सूची तैयार करें ।
- उन क्षयरोगियों की सूची तैयार करें जिन्हें दवाई की आवश्यकता है ।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता एवं महिला स्वास्थ्य आपस में सम्न्वय स्थापित करें ।

2) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन पर निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :–

- यह सुनिश्चित करें कि सूची में वर्णित सभी महिलायें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने अवश्य आयें ।
- यह सुनिश्चित करें कि सूची में वर्णित सभी बच्चे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने अवश्य आयें ।

- यह सुनिश्चित करें कि कुपोषण से ग्रस्ति बच्चे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता से अवश्य परामर्श करें ।
- यह सुनिश्चित करें कि अतिरिक्त पोषण आहार बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार अवश्य मिले ।
- यह सुनिश्चित करें कि सूची में सम्मिलित प्रत्येक क्षयरोगी अपनी दवाई अवश्य प्राप्त करे ।
- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को सहयोग प्रदान करें ।
- आंगनवाड़ी केन्द्र की स्वच्छता को सुनिश्चित करें ।
- यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के उपलक्ष पर सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो ।
- यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रसव पूर्व जांच की गोपनीयता को बनाया रखा जाए ।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड को पर्याप्त मात्रा में अपने पास रखें ।
- सम्पूर्ण गतिविधियों का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के साथ समन्वय स्थापित करें ।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता :–

- यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन निर्धारित दिवस को अवश्य होना चाहिए । यदि किसी कारणवश महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता अवकाश पर है तो पहले से ही किसी दूसरी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का प्रबन्ध करें ।
- यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन से पहले ही सभी दवाईयां समय पर पहुंच जायें ।
- उन सभी उपकरण, दवाईयां एंव अन्य सामग्री जो सूची में दी गई हैं की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।
- जानकारी से सम्बन्धित सभी सामग्री को साथ ले जायें ।
- यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त धन(जननी सुरक्षा योजना एवं रैफरल परिवहन) आंगनवाड़ी कर्मचारियों को देने के लिए उपलब्ध हो ।
- यह भी सुनिश्चित करें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की रिर्पोट भेजी जाए ।

- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का यह मुख्य उत्तरदायित्व है कि वह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के साथ समन्वय स्थापित करे ।

पंचायती राज संस्थान / ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति :–

- यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सभी आयोजनों में उपलब्ध हों ।
- स्कूल अध्यापकों एवं पंचायती राज संस्थान के सदस्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करें ।
- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आयोजन स्थल में सफाई व्यवस्था, शुद्व पेयजल उपलब्ध हो ।

4. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए सुविधा पैकेज

मातृ स्वास्थ्य

- गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण शीघ्रता से करें ।
- प्रसव पूर्व जांच पर ध्यान केन्द्रित करें ।
- यदि किसी गर्भवती महिला में प्रसव से पूर्व किसी प्रकार की विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसे तुरन्त उच्च स्तर के स्वास्थ्य संस्थान के लिए स्थानान्तरित करें ।
- सुरक्षित गर्भपात के लिए पंजीकृत गर्भपात केन्द्रों में भिजवायें ।
- निम्नलिखित गतिविधियों पर परामर्श दें :–
    - लड़कियों की शिक्षा ।
    - विवाह की सही आयु ।
    - गर्भावस्था के समय देखभाल ।
    - गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत ।
    - जन्म तैयारियां ।
    - पोषण का महत्त्व ।
    - संस्थागत प्रसूति ।
    - रैफरल परिवहन ।
    - जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध करवाना ।
    - प्रसवोत्तर देखभाल ।
    - स्तनपान और पूरक आहार ।
    - नवजात शिशु की देखभाल ।
    - गर्भनिरोधक ।
    - यदि पिछले महीने कोई मातृ मृत्यु हुई हो तो उसके संदर्भ में समूह चर्चा करना तथा उसके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं मूल्याकंन ।

शिशु स्वास्थ्य

एक वर्ष आयु तक के शिशुओं :–

- नवजात शिशुओं का पंजीकरण ।
- नवजात शिशुओं के विषय में माताओं को नवजात शिशु की देखभाल व उसके पोषण के बारे में परामर्श देना ।
- सम्पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम को नियमित रूप से लागू करना ।
- जो बच्चे टीकाकरण कार्यक्रम में छूट गये हैं उनको टीके लगवाना ।
- खसरे के टीके के साथ विटामिन ए की प्रथम खुराक देना ।
- वजन ।

एक वर्ष से तीन वर्ष के शिशुओं :–

- उक्त श्रेणी के शिशुओं को बूस्टर खुराक / ओ.पी.वी. देना ।
- विटामिन ए की दूसरी से पांचवी तक खुराक देना ।
- रक्त अल्पता को दूर करने के लिए छोटे बच्चों को आई.एफ.ए. की गोलियां देना ।
- वजन ।
- कुपोषण सम्बन्धी समस्याओं को दूर करना ।

पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी बच्चे :–

- आगंनवाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा छूट गये बच्चों की पहचान करना व उन्हें खुराक देना ।
- डायरिया एवं तीव्र श्वसन संक्रमण से सम्बन्धित मामलों को ढूंढना ।
- सभी माताओं से रोगों के गृह प्रबन्धन और विकट परिस्थितियों में कहां जाना चाहिए के बारे में परामर्श करना ।
- ओ.आर.एस. डिपो को आयोजन स्थल पर उपलब्ध करवाना ।
- पोषण अनुपूरण एवं संतुलित आहार पर परामर्श करना ।
- पेट में कीड़ों के प्रबन्धन पर परामर्श करना ।

परिवार नियोजन :–

- गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल पर जानकारी देना ।
- गर्भ निरोधको का उचित बंटवारा करना और इस सम्बन्ध में परामर्श देना ।
- परिवार नियोजन के अन्तर्गत बीमा योजना में यदि किसी व्यक्ति की नसबंदी में कोई समस्या आती है तो उसके नुकसान की भरपाई के बारे में सूचना एकत्रित करना ।

प्रजनन पथ के संक्रमण और यौन संचारित संक्रमणों :–

- प्रजनन पथ के संक्रमण. / यौन संचारित संक्रमणों की रोकथाम हेतु परामर्श देना ।
- एच.आई.वी./ एड्स सम्बन्धी मामलों का निदान एवं उसकी रोकथाम के लिए प्रयास करना ।
- महिलाओं सम्बन्धी रजोनिवृति की समस्याओं पर परामर्श देना ।
- एच.आई.वी. / एड्स जैसी गम्भीर बिमारियों की रोकथाम हेतु संक्रमण के कारण, दोहरी सुरक्षा के लिए कंडोम का वितरण इत्यादि ।
- आई.सी.टी.सी. सेवाओं के लिए उपयुक्त संस्थानों में रैफर करना ।

स्वच्छता :–

- स्वच्छ शौचालयों के निमार्ण के लिए घरों की पहचान करना ।
- जहां पर मच्छर ज्याद उत्पन्न होते हैं वहां पर सफाई की उचित व्यवस्था करना ।
- घरों से निकले कचरा व कूड़ा करकट को उचित स्थान पर फिकवाना ।

संक्रमित रोग :–

- उन सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना जिससे आम जनता में जागरूकता आये व कुष्ठ रोग, संदिग्ध मामले एवं रैफरल मामलों की पहचान करना इत्यादि ।
- मच्छरों के उत्पन्न होने वाले स्थानों में सफाई की उचित व्यवस्था करना । इसके लिए सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन करना । बुखार के मामलों की मलेरिया की जाचं के लिए खून के नमूने इकठ्ठे करना व उनका निदान करना ।
- क्षयरोग से सम्बन्धित बिमारियों के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना (जहां पर रोगी को दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो) एवं नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी को जांच करवाने के लिए प्रेरित करना ।
- क्षयरोगी के लिए दवाईयों का प्रबन्ध करना ।
- महामारी के फैलने एवं किसी प्रकार की बिमारी के फैलने का अंदेशा होने पर उसकी सम्पूर्ण रिपोर्ट तैयार करना ।

लिंग :–

- प्रसव पूर्व लिंग जांच पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना एवं इस बात को सुनिश्चित करना की कोई भी व्यक्ति प्रसव से पूर्व लिंग (कन्या या बालक) को न जान सके । इसके साथ–साथ आम जनता में एक कन्या के जन्म की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- घरेलू हिसां अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने का प्रयास करना ।
- आम जनता में यह जागरूकता लाने का प्रयास करना की प्रत्येक कन्या का विवाह 18 वर्ष से पहले न हो ।

आयुष :–

- आमतौर पर छोटी–छोटी बिमारियों को दूर करने के लिए आर्युवैदिक दवाईयों के प्रचलन को बढ़ावा देना । उदाहरण के लिए तुलसी का पत्ता जिसे आमतौर पर दवाई बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और अगर वह आसानी से उपलब्ध है तो इसका इस्तेमाल करना ।
- आयुष गतिविधियों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करना एवं रक्त अल्पता रोग को दूर करने के लिए दवाइयों का प्रबन्ध करना ।

स्वास्थ्य को बढ़ावा देना :–

कुछ रोगों को निम्नलिखित विषयों पर परामर्श द्वारा रोका जा सकता है :–

- तम्बाकू चबाना ।
- स्वस्थ जीवन शैली ।
- उचित आहार ।
- उचित व्यायाम ।

पोषण :–

पोषक तत्त्वों की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को परामर्श द्वारा रोका जा सकता है :–

- स्वस्थ भोजन की आदतें ।
- स्वस्छ और सही खाना पकाने की प्रथायें ।
- उचित आहार ।
- उचित व्यायाम ।
- किशोर बालिकाओं एवं गर्भवती महिलाओं में रक्त अल्पता के लक्षणों की पहचान तथा उन्हें परामर्श देना ।
- नवजात शिशुओं एवं बच्चों का वजना मापना ।
- लौह तत्त्वों, विटामिन एवं सूक्ष्म आहार की महत्त्वता को जानना ।
- खाद्य जिनका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है ।
- गर्भवती महिलाओं एवं 6 महीने के आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करना ।

विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित अनुबन्धों पर ध्यान दें :

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – इस योजना से सम्बन्धित लाभों के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना ।

अनुबन्ध – क : ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु आवश्यकताएं

अनुबन्ध – ख : ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु प्रचार

अनुबन्ध – ग : पर्यवेक्षी प्रबन्धन

अनुबन्ध – घ : पर्यवेक्षी जांच सूची

अनुबन्ध – ङ : परिणाम

अनुबन्ध – 'क'

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु आवश्यकताएं

आवश्यकताएं :–

- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता ।
- पंचायती राज संस्थानों / ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समित के सदस्य ।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के सहायक ।
- निम्नलिखित कर्मचारी जो कि गांव के बाहर से आयेगें :–
    - महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
    - पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (यदि उपलब्ध हो)
    - आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता (यदि उपलब्ध हो)

उपकरण, उपस्कर एवं फर्नीचर

- वजन मापने की मशीन– दोनों प्रकार की युवा, बच्चे ।
- निरीक्षण टेबल ।
- स्क्रीन / पर्दा
- हैमोग्लोबिन मीटर, मूत्र परीक्षण की किट ।
- दस्ताने ।
- स्लाईडस
- स्टैथोस्कोप एवं रक्तचाप मापने का यन्त्र ।
- मापने का टेप ।
- फोइटोस्कोप ।
- आईस पैक के साथ वैक्सीन कैरियर ।

यदि उपरोक्त सभी वस्तुएं उपब्ध नहीं हैं तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता या ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के पास उपलब्ध मुबलिक 10,000/–रूपये की धनराशि का इन वस्तुओं के क्रय हेतु उपयोग कर सकते हैं । महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता / आगंनवाड़ी कार्यकर्त्ता के द्वारा यह सभी वस्तुएं सुरक्षित रखी जानी चाहिए ।

अनुबन्ध – 'ख'

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस हेतु प्रचार

प्रचार :–

- दिवस एवं समय ।
- स्थान ।
- महत्त्वपूर्ण सेवायें ।

प्रमुख संचार उद्देश्य :–

एक ऐसे समुदाय का निमार्ण करना जिसमें विशेषतौर पर कमजारे वर्ग की महिलायें सम्मिलित हों । गांव के आंगवाड़ी केन्द्र में निर्धारित दिवस पर सभी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए ।

किसे शामिल करना :–

- पंचायती राज संस्थानों / ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समित के सदस्य ।
- स्वयंसेवी सहायता समूह के सदस्य ।
- शिक्षक एवं अन्य ग्रामीण नेतागण ।
- स्कूली बच्चे ।
- सभी लाभार्थी ।
- प्रशिक्षित दाई एवं अन्य आर.एम.पीज. (RMP)

जन सम्पर्क साधन एवं विधियां :–

- स्थानीय भाषा में दीवार लेखन ।
- गांव के एक या दो मुख्य स्थानों पर इश्तेहार लगाना ।
- परचे बांटना ।

आम जनता में जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति एवं स्वास्थ्य उप–केन्द्रों में उपलब्ध सयुंक्त कोष के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है ।

अनुबन्ध – 'ग'

पर्यवेक्षी प्रबन्धन

पर्यवेक्षण एवं निगरानी :–

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का उचित संगठनात्मक ढांचा होना अत्यन्त आवश्यक है । उक्त ढांचा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर तरीके से गावं के स्तर तक पहुंचायें जाने की गारण्टी साबित हो सकता है । इसलिए इनका राज्य स्तर, जिला स्तर एवं खण्ड स्तर पर होने वाली सभी बैठकों में आंकलन किया जाना आवश्यक है । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की समय–समय पर समीक्षा हो । ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन में यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसका निदान तुरन्त एवं कारगर ढंग से होना चाहिए । प्रत्येक जिला एवं खण्ड को ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की रिकार्ड की देखभाल एवं उसके आयोजन हेतु संख्या का निर्धारण करना चाहिए । यह भी रिकार्ड रखना चाहिए कि भविष्य में वास्तव में कितने दिवस का आयोजन करना है । ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का सफल आयोजन इस बात पर निर्भर करता है कि आयोजन में सुविधाओं की गुणवत्ता, पर्यवक्षेण एवं नेतृत्व किस प्रकार का है । महिला स्वास्थ्य आगन्तुंक / महिला स्वास्थ्य पर्यावेक्षक को सम्मिलित रूप से पूर्व निर्धारित जांच केन्द्रों का दौरा करना चाहिए एवं मासिक बैठक में इस पर विचार–विमर्श करना चाहिए । उनका यह मुख्य उत्तरदायित्व है कि उक्त विषय के संदर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को अवश्य अवगत करवायें ।

निम्नलिखित गतिविधियों को पर्यवेक्षी दौरों के दौरान अवश्य सुनिश्चित करें :–

1. यह सुनिश्चित करें कि कमजोर वर्ग के समुदाय के साथ–साथ महिलायें एवं बच्चे स्वास्थ्य सुविधायों का लाभ अवश्य उठायें ।
2. सभी संसाधन (मानव संसाधन एवं सामग्री) उचित स्थान पर होने चाहिए ।
3. सभी उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता सन्तोषजनक होनी चाहिए ।
4. 'उपभोक्ता की सन्तुष्टी, हमारी सन्तुष्टी' की कहावत को चरितार्थ करने के लिए प्रभावी कदम उठाने आवश्यक हैं ।
5. व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण प्रणाली का सही उपयोग होना चाहिए ।

मासिक सभाओं में ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा संयोजन किया जाना चाहिए तथा जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसके संयोजक होगें । जिला कार्यक्रम प्रबन्धन समूह इसका निरीक्षण एवं रिकार्ड भी तैयार करेगा ।

अनुबन्ध – 'घ'

पर्यवेक्षी जांच सूची

पर्यवेक्षी जांच सूची :

(ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन स्थलों पर विभिन्न संवर्ग के पर्यवेक्षक द्वारा ध्यान देने योग्य बातें)

1. साधारण जानकारी : आयोजन स्थल, कर्मचारियों की उपलब्धता, समय का निर्धारण ।
2. शीत कड़ी : आईस पैक के साथ वैक्सीन कैरियर एवं वैक्सीन वायल मोनीटर की स्थिति ।
3. पर्याप्त मात्रा में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता ।
4. टीकाकरण की प्रक्रिया, विशेषरूप से इंजेक्शन सुरक्षा ।
5. संचार और परामर्श की उपलब्ध सामग्री ।
6. रिकार्ड की समीक्षा हेतु :–
   - क. कमजोर वर्ग से सम्बन्धित महिलाएं एवं बच्चे ।
   - ख. टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों के लिए ।
   - ग. प्रसव पूर्व जांच की प्रक्रिया ।
   - घ. रक्त जांच के नमूने ।
7. ऑटो डिस्पोजेबल सरींजो (Auto Disposable) को उचित तरीके से नष्ट करना ।
8. ग्राहक सन्तुष्टी : टीकारण के लिए आम जनता से साक्षात्कार एवं उन्हें प्रेरित करना । किस स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव करवाया जाए के बारे में सूचना प्रदान करना ।
9. जननी सुरक्षा योजना, रैफरल परिवहन लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना ।

अनुबन्ध – 'ड.'

परिणाम

परिणाम :

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के नियमित आयोजन से निर्धारित दिशा–निर्देशों के आधार पर निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं :–

- सभी गर्भवती महिलायें, बच्चों एवं किशोरों को शत–प्रतिशत स्वास्थ्य सम्बन्धी रोकथाम एवं निदान गतिविधियां प्रदान करना ।
- विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि लोग इनमें सुझाये गये उपायों को अपनाकर इनकी रोकथाम कर सकें ।
- आम जनता में पूरक आहार, स्वच्छता एवं सही समय पर देखभाल के बारे जागरूकता लाना ।
- लोगों में जागरूकता पैदा कर, स्वास्थ्य प्रणाली को लोगों की जरूरतों के प्रति सचेत करना एवं उत्तरदायित्व बनाना ।

सामग्री :–

- दवाईयां, आई.एफ.ए. गोलियां, विटामिन ए, निरोध, ओ.सी.पीज., ओ.आर.एस. घोल एवं कोटरीमोक्साजोल की आपूर्ति ।
- विरोधी पेट के कीड़ा दवा ।
- क्लोरीक्वीन ।
- पैरासिटामोल ।
- बी.एफ. फिक्सिंग के लिए दाग ।
- ए.डी. सिरीजिंज की पर्याप्त मात्रा ।
- प्रचार सामग्री : संचार एवं परामर्श के लिए ।